न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 5 / 2020

उनवान

कमाल पुत्र लाला जाति मेहरात निवासी ग्राम बिदुर, नसीराबाद
—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1 अमीन,
2. इकबाल पि0 सुल्तान,
3. पतासी पत्नी गुलजार,
4. रसूल पुत्र गुलजार,
5. सुभान पुत्र अहमद,
6. सलीम पुत्र सुल्तान, जाति मेहरात नि0 बिदूर, नसीराबाद,
7. मैनेजर यूनियन बैंक आफॅ इंडिया शाखा भवानीखेडा
8. मैनेजर यूनियन बैंक आफॅ इंडिया शाखा मांगलियावास,
9. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार
10. आरिफ पुत्र बाबू
11. जैमा पत्नी बाबू
12. जाकिर पुत्र लाला
13. मंजूर अली पुत्र लाला
14. मुमताज अली पुत्र लाला
15. साजिद पुत्र बाबू जाति मेहरात निवासी ग्राम बिदुर, नसीराबाद
—— अप्रार्थीगण :– 1 से 6 जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत
7 व 8 अनुपस्थित
10 से 15 जरियें अधिवक्ता श्री जितेन्द्र गुर्जर
9 जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 15.9.20

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बिठुर के खसरा नम्बर 763 रकबा 0.16 की आराजी प्रार्थी की खातेदारी में है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 763 में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 764 रकबा 0.11 का उपयोग किया जाता है। ख0न0 764 अप्रार्थी संख्या 1 से 6 की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी के खेतों में जाने हेतु अन्य कोई मार्ग नही है। अतः प्रार्थी को अप्रार्थीगण के खसरा नम्बर 764 में से 30 फिट चौडा रास्ता दिया जावे। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वांछित प्रतिफल राशि प्रार्थी अदा करने हेतु तैयार है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 6 ने जवाब मय प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 बिठुर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के खसरा नम्बर 763 रकबा 0.16 की आराजी प्रार्थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:47:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

कमाल पुत्र लाला के साथ अन्य सह खातेदार आरिफ पुत्र बाबू, जैमा पत्नी बाबू, जाकिर पुत्र लाला, मन्सूर अली पुत्र लाला, मुमताज अली पुत्र लाला, साजिद पुत्र बाबू जाति मेहरात नि0 बिठुर भी खातेदार है। किन्तु प्रार्थी ने सभी सहखातेदार को प्रकरण में पक्षकार नही बनाया है। प्रार्थी अपने उक्त खसरा नम्बर 763 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 764 का उपयोग नही करता है ना ही उक्त खसरा नम्बर में कोई रास्ता वर्तमान में अथवा पूर्व में विधमान था।. खसरा नम्बर 764 पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है जिस पर जवाबकर्ता कदीम से कृषि कार्य करते है। प्रार्थी के पास अपने खेतों पर आवागमन हेतु मौके पर अन्य मार्ग विधमान है प्रार्थी अपने खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 763 की किमत बढाने के उद्देश्य से उक्त मार्ग का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है। राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के प्रावधान अनुसार मात्र कृषि कार्य के लिये ही आत्यांतिक आश्यकता होने पर रास्ता प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में मार्ग की आत्यांतिक आवर्श्यकता सिद्व नही होती है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

ग्राम बिठुर के रास्ते से लगता हुआ जवाबकर्ता का खेत खसरा नम्बर 764 रकबा 0.11 स्थित है जिसे पीछे प्रार्थी व अन्य सह खातेदारो का खेत खसरा नम्बर 763 स्थित है। प्रार्थी के उक्त खसरा नम्बर 763 के पीछे ही जवाबकर्ता का खातेदारी खेत खसरा नम्बर 755 रकबा 0.19 स्थित है। उक्त खसरा नम्बर 755 पर आवागमन हेतु जवाबकर्ता के पास राजस्व अभिलेख में कोई मार्ग अंकित नही है जबकि जवाबकर्ता अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 755 पर आवागमन हेतु प्रार्थी व अन्य सहखातेदार के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 763 का उपयोग मौके पर करते है। जवाबकर्ता कृषि कार्य के लिये खसरा नम्बर 763 की मेड से ही कदीम से आते जाते रहे है एवं वर्तमान में श्री उक्त मार्ग का उपयोग कर रहे है। जवाबकर्ता को प्रार्थी व अन्य सह खातेदारों की आराजी खसरा नम्बर 763 में से 30 फिट चौडा रास्ता खसरा नम्बर 755 तक आवागमन हेतु प्रदान करनें के आदेश पारित करने की कृपा करे। उक्त मार्ग के बदले जवाबकर्ता प्रार्थी व अन्य सहखातेदारों को न्यायालय आदेश अनुसार प्रतिफल/मुआवजा राशि अदा करने हेतु तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त कर जवाबकर्ता का प्रति प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने प्रकरण में आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 10 से 15 को प्रकरण में पक्षकार मुर्तिब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब प्रति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने ख0न0 763 की मेड का उपयोग कभी भी आवागमन हेतु नही किया है। ख0न0 755 पर जाने हेतु अप्रार्थी के पास वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। अतः प्रति प्रार्थना पत्र निरस्त किया जावे।

प्रार्थना पत्र विचारण के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 वास्ते रास्ते के बदले रास्ते के रूप में भूमि दिलाये जाने बाबत पेश किया। अप्रार्थी संख्या 10 से 15 ने प्रकरण में कोई जवाब नही पेश करना जाहिर किया। तहसीलदार नसीराबाद ने प्रकरण में मौका रिपोर्ट पेश की।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने 2019 आर आर टी पेज 1210 से 1215 की नजीर पेश की।

पत्रावली व प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण के तर्कों पर मनन किया। ग्राम बिठुर के हाल खसरा नम्बर 763 प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 10 से 15 के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 764, 761, 762, 755, 766 अप्रार्थी संख्या 1 से 6 व परिवारजन के नाम दर्ज है। प्रार्थी ने अपने खातेदारी ख0न0 763 में जाने हेतु अप्रार्थी के ख0न0 764 मे से रास्ता चाहा है। मौका रिपोर्ट अनुसार चाहा गया मार्ग 16 [illegible] 80 वर्ग मीटर होता है। चाहे गये मार्ग की डी0एल0सी0 दर से राशि 8541/ होती [illegible] वित आराजी पर पहुचने के लिये अन्य कोई मार्ग नही है। उक्त ख0न0 पर [illegible] है। प्रार्थी को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:47:19 IST
Reason: SelfAttested

मार्ग की आत्यंतिक आवयकता है। प्रतिपक्ष द्वारा भूमि के बदले भूमि के रूप में ख0न0 763 में से ख0न0 755 पर जाने हेतु रास्ता चाहा है अप्रार्थीगण का ख0न0 764, 761, 762, 755 अमीन वगै0 की खातेदारी में दर्ज है। ख0न0 764 ब्यावर–नसीराबाद मार्ग से लगता हुआ है। इसी ख0न0 से लगती हुयी अप्रार्थीगण की अन्य खातेदार भूमि है जिससे आवागमन हो सकता है अतः ख0न0 763 में से नवीन रास्ता देने का कोई औचित्य नही है।

उक्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर विधमान नही है। प्रार्थी कों रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता भी सिद्व होती है। धारा 251 ए की मूल अवधारणा खातेदार को अपनी कृषि जोत तक आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध कराने की है। मौका रिपोर्ट में कोई विपरित तथ्य प्रकट नही किया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का ठोस खण्डन नही किया है। साथ ही प्रस्तावित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक, दीर्घ, लघु मार्ग उपलब्ध होना भी सिद्व नही किया है। अप्रार्थीगण के ख0न0 755 में जाने हेतु ख0न0 766 व 762 का उपयोग अप्रार्थीगण द्वारा किया जा सकता है जो मौका रिपोर्ट के साथ सलंग्न नजरी नक्शा से भी स्पष्ट है। अप्रार्थीगण का कथन है कि उन्हे रास्ते की भूमि के मुआवजे में नगद राशि के स्थान पर ख0न0 763 में से उतनी ही भूमि दी जावे ताकि अप्रार्थी अपनी खातेदारी खेत ख0न0 755 के रास्ते के विस्तार के लिये भूमि का उपयोग कर सके। मौके पर भूमि का विभाजन अप्रार्थीगण के मध्य नही हुआ है। ख0न0 764 व 766 अलग–अलग अप्रार्थी के हिस्से का है। अपने कथन के समर्थन में अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त नजीर भी पेश की है। किन्तु उक्त नजीर के अनुसार " **यहा यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त धारणा जिसमें रास्ता देने वाले व रास्ता लेने वाले दोनो पक्षों में रास्ते में आयी भूमि के बदले भूमि भूमि दिए जाने पर सहमति है तो उसके अनुसार काश्तकारी नियम 70 (1)(1) के अनुसार भूमि दी जा सकती है परन्तु यदि दोनो पक्षों के मध्य सहमती नही हो तो काश्तकारी नियम 70 (1)(2) के अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की जा सकती है।**" प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थीगण ने भूमि के बदले भूमि दिये जाने में असहमती प्रकट की है साथ ही अप्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी ख0न0 755 पर जाने के लिये खुद की खातेदारी खेत से मार्ग विधमान है अतः नजीर प्रकरण में चस्पा नही पायी जाती है।

उक्तानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है ग्राम बिटुर के हाल खसरा नम्बर 764 में से 16 मीटर गुणा 5 मीटर कुल 80 वर्ग मीटर आराजी सिवायचक रास्ता दर्ज करने के आदेश जारी किये जाते है। उक्त भूमि की डी. एल. सी. दर से 2 गुना राशि 17082/ अक्षरे सतरह हजार बियासीः रूपये प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 को उनके हिस्सेनुसार भुगतान करने के बाद तहसीलदार नसीराबाद उक्त रकबे को राजस्व अभिलेख में सिवायचक रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2020.09.29 16:47:19 IST
Reason: SelfAttested